



# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

## प्रेस विज्ञप्ति

राजनांदगांव, 20 जुलाई । छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ 12-03/2018/20-दो नया रायपुर दिनांक- 30.06.2018 के अनुसार शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त वरिष्ठता सूची के अनुसार ई संवर्ग (एल.बी.) तथा टी संवर्ग (एल.बी.) के लिए पृथक पृथक वर्गवार अंतरिम एकीकृत वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है । प्रकाशित एकीकृत वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की दावा/आपत्ति हो, तो प्रामाणिक दस्तावेज सहित दावा /आपत्ति जिला पंचायत कार्यालय में दिनांक-28.07.2018 तक (कक्ष क्रमांक- एफ-12 में) कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं । समय-सीमा के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा । शिक्षक ई संवर्ग (एल.बी.) तथा टी संवर्ग (एल.बी.) की एकीकृत वरिष्ठता सूची जिला पंचायत के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा जिला पंचायत के वेबसाइट [www.zprajnandgaon.gov.in](http://www.zprajnandgaon.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 4297 /शि.क./जि.पं./स्था./2018  
प्रतिलिपि :-

राजनांदगांव, दिनांक- 20.07.2018

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर, राजनांदगांव को सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. संयुक्त संचालक, जन संपर्क, राजनांदगांव को विज्ञापन प्रकाशनार्थ ।
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी (सर्व) जिला राजनांदगांव । जारी एकीकृत वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. कार्यालय सूचना पटल ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)